18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कोठा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के समरी खसरा नम्बर 71 व 72 रकबा अन्दाजीया 172.10 बीघा वर्तमान खसरा सं. 781 रकबा 5.8329 है. एवं ख.सं. 416 रकबा 9.4168 है. सिवायचक भूमि में खातेदारी घोषणा हेतु एक वाद सं. उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पेश किया है। समरी में अन्दाजीया दर्ज रकबा को स्थायी बंदोबस्त में काटकर सिवायचक दर्ज किया। वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी में विपक्षीगण हस्तक्षेप न करें।

जवाब में तहसीलदार फतेहगढ़ ने प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रथम बन्दोबस्त से आदिनांक तक सिवायचक दर्ज है और प्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। इसलिए मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। साथ ही ~~अवश्य~~ बहस में निवेदन किया कि ~~यदि~~ ~~पूर्व~~ समरी सेटलमेंट में अंदाजीया तरीके से प्रार्थीगण का नाम दर्ज था ~~जिसे~~ जिसके कोई नक्शे नहीं बने कोई वास्तविक पैमाईश नहीं हुई। बाद में प्रबन्ध विभाग ने

स्थाई सेटलमेंट के समय मौके पर काबिज काश्त खातेदारों के खसरों की पैमाईश कर जितनी भूमि पर कब्जा व काश्त था उन्हें जातेदारी दर्ज किया था। शेष भूमि को सही तरीके से आराजी राज दर्ज किया था। साथ ही यदि प्रार्थीगण को इस संबंध में आपत्ति थी और गलत दर्ज किया गया था तो उस संबंध में कोई अपील पूर्व में नहीं की गई थी जिससे साबित होता है कि प्रार्थीगण काबिज काश्त नहीं रहे एवं गलत दर्ज नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण का वाद ग्रस्त आराजी पर हक हकुक नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रथम स्थाई बन्दोबस्त से आडिनंक तक लिवायचक दर्ज है अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रथम स्थाई बन्दोबस्त में पैमाइश एवं नक्शा निर्माण प्रक्रिया एवं आपत्ति निस्तारण प्रक्रिया में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है

न ही पूर्व में बंदोबस्त कार्यवाही के विरुद्ध अपील दर्ज की करवाई हो के दस्तावेज पेश नहीं किये। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज होने, कोई अपील पेश नहीं करने एवं केवल समरी में अंदराजियां रेकर्ड के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना समरी के अंदराजियात रेकर्ड की आड़ में मूल्यवान सरकारी जमीन पर हक जताना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार स्थाई बन्दोबस्त के बाद आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किये गये। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं ~~होतो~~ ~~है~~ होता है।

निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सभी बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर फैसल शुमार हो। यह निर्णय मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 18.03.25 को जारी होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्टाम्प: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... जैसलमेर)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एव
उप खण्ड अधिकारी फतेहगढ़
जैसलमेर

Scanned with OKEN Scanner